अनुसूची 14– फारम सं. 562

आदेष–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

....तक

आदेश पत्रक तारीख..

जिला..............मधुबनी ..संख्या.– 30/14–15

केश का प्रकार जमाबंदी रद्दीकरण वाद

अर्जीकारः– रीतेश कुमार

प्रतिपक्षीः–बीरेन्द्र प्रसाद शर्मा अन्य।

आदेष का कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित।
04.03.2017	(नीचे देखें)	

04.03.2017

आवेदक रीतेश कुमार पिता तारकेश्वर प्रसाद गदियानी चौक वार्ड नं. 11 मधुबनी ने अवैध जमाबंदी संख्या–5253 रद्द करने के संबंध में अंचल कार्यालय रहिका में आवेदन दिया जिसमें सन्निहित भूमि का विवरण निम्न प्रकार अंकित हैः–

मौजा	खाता	खेसरा	रकवा
चकदह	—	320,321 पुराना 44 नया	0–1–3–36 (एक कट्ठा तीन धूर छतीस धूरकी)

अंचल अधिकारी रहिका ने अपने कार्यालय में संधारित अभिलेख संख्या–10/14–15 के आदेशफलक दिनांक–06.02.2015 में राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर राजस्व अभिलेख के आधार पर भूमि का विवरण निम्न प्रकार लिखा हैः–

सी0एस0खतियान का विवरणः–

मौजा	खाता	खेसरा	किस्म	रकवा	खतियानधारी का नाम
मधुबनी	—	320	मकानमय सहन	0–0–6–41 धूरकी	रामकिशुन राम वल्द माधोसाह
		321	परती कदीम	0–0–16–95 धूरकी	

पंजी–2 का विवरणः–

मौजा	जमाबंदी सं0	खेसरा	रकवा	जमाबंदीदार
चकदह	5253	320, 321	0–1–3–36 धूरकी	जयनारायण लाल पे0सिंघेश्वर लाल

आदेशफलक में अंचल अधिकारी ने लिखा है कि उपरोक्त जमाबंदी 5253 जो दाखिल खारिज वाद संख्या 846/06–07 के आधार पर जमाबंदी संख्या 1491 से खारिज होकर कायम किया बनाम जयनारायण लाल पे0 सिंघेश्वर लाल के नाम पर दर्ज था। जमाबंदी नं. 5253 में से कुल रकवा खारीज होकर दाखिल खारिज वाद संख्या 1393/07–08 के तहत श्रीमती राधा देवी पति बिनय प्रसाद के नाम से जमाबंदी संख्या 5325 कायम किया गया जो वर्तमान में स्थगित है। उपरोक्त भूमि पर राधा देवी जौजे बिनय प्रसाद का दखल कब्जा है एवं मामला सक्षम न्यायालय में लंबित है। आगे लिखा है कि एक ही दाखिल खारिज वाद संख्या 846/06–07 के आधार पर जयनारायण लाल का जमाबंदी संख्या 5253 खेसरा 320, 321 रकवा 0–1–3–36 धूरकी एवं हरिश्चन्द्र प्रसाद सिंह पे. स्व0हितलाल सिंह का खाता संख्या– पुराना 117

नया 211 खेसरा पु0211 नया 06–07 रकवा 0–1–0(एक कट्ठा) का कायम किया गया हुआ है। इस प्रकार ही वाद संख्या के आधार पर दो अलग अलग व्यक्ति के नाम से जमाबंदी कायम किया गया है।

अपने आदेशफलक में अंचल अधिकारी, रहिका ने आगे लिखा है कि रीतेश कुमार पे0तारकेश्वर प्र0ग्राम–गदियानी चौक वार्ड नं.11 थाना वो जिला मधुबनी के आवेदन की जॉच में पाया गया कि जमाबंदी संख्या 1491 फनीन्द्र नारायण प्रसाद वगैरह के नाम से 0–1–3–36 (एक कट्ठा तीन धूर छतीस धूरकी)का चल रही थी जिसका कुल रकवा हल्का कर्मचारी की भूल से दाखिल खारिज वाद संख्या 846/06–07 के तहत खारीज होकर स्व0 जयनारायएण लाल पे0स्व0सिंघेश्वर लाल के नाम से होकर जमाबंदी संख्या 5253 कायम हुआ जबकि केवाला के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि बिक्रेता शेख मुस्ताक अहमद पे0शेख मोहम्मद जहुर के जमाबंदी से खारिज होना चाहिए था किन्तु उनके नाम से कोई जमाबंदी चलती ही नहीं है।

मौजा–चकदह खाता–खेसरा–320, 321 पुराना 44 (नया) रकवा 0–1–3–36 (एक कट्ठा तीन धूर छतीस धूरकी) की जमीन आवेदक के पूर्वज के नाम से वाद संख्या 47/1965 में प्रथम मुसिफ न्यायालय मधुबनी द्वारा प्राप्त है जिसे आवेदक या उनके पूर्वज द्वारा बिक्री नहीं किया गया है। अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज से संबंधित पंजी के अनुसार एक ही वित्तीय वर्ष में दाखिल खारिज वाद संख्या 846/06–07 के तहत स्व0 जय नारायण लाल पे0सिंघेश्वर लाल के नाम से जमाबंदी संख्या–5253 मौजा चकदह खाता–खेसरा–320, 321 (पुराना) 44 (नया) रकवा 0–1–3–36(एक कट्ठा तीन धूर छतीस धूरकी) एवं दाखिल खारिज वाद संख्या–846/06–07 के तहत हरिश्चन्द्र प्रसाद सिंह पे0स्व0हितलाल सिंह के नाम से जमाबंदी संख्या 5144 मौजा–चकदह खाता–117 (पुराना), 211 (नया) खेसरा 211(पुराना) 06 एवं 07 (नया) रकवा 0–1–0–0(एक कट्ठा) कायम किया गया। स्पष्ट है कि बिरेन्द्र प्रसाद शर्मा वो राजेन्द्र प्रसाद शर्मा अपने स्वर्गवासी पिता जय नारायण लाल के नाम से दाखिल खारिज करवाया जबकि स्वर्गवासी व्यक्ति के नाम से दाखिल खारिज करवाने का कोई नियम नहीं है। स्व0जयनारायण लाल के पुत्रों बीरेन्द्र प्रसाद शर्मा वो राजेन्द्र प्रसाद शर्मा ने जानबूझकर अपने स्वर्गवासी पिता जयनारायण लाल के नाम से नामांतरण करवाया एवं नामांतरण के पश्चात् उपरोक्त वर्णित भूमि को श्रीमती राधा देवी जौ0विनय प्रसाद के हाथों बिक्री किया एवं दाखिल खारिज वाद संख्या 1393/07–08 होकर जमाबंदी संख्या 5325 कायम हुआ जबकि बिरेन्द्र प्रसाद शर्मा वो राजेन्द्र प्रसाद शर्मा वाद संख्या 47/1965 में विपक्षी थे तथा उन्हें जानकारी थी कि उनके पक्ष में न्यायालय द्वारा आदेश पारित नहीं किया गया है।

उपरोक्त परिस्थितियों का उल्लेख करते हुये अंचल अधिकारी ने अपने आदेशफलक के अंतिम पारा में लिखा है कि जमाबंदी संख्या–5253 एवं उनसे निर्मित जमाबंदी संख्या 5325 को रद्द करने एवं सभी रकवा को मूल जमाबंदी संख्या 1491 दर्ज करने हेतु मूल अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर मधुबनी को अनुशंसा के साथ अग्रसारित किया, जिसे भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर मधुबनी ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेजा जिसके आधार पर इस न्यायालय द्वारा बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा–9 के तहत कार्रवाई प्रारम्भ करते हुये पक्षकारों को नोटिस देते हुये अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचना दी गयी।

आवेदक रीतेश कुमार पिता तारकेश्वर प्रसाद गदियानी चौक वार्ड नं011 की ओर से वकालतनामा के साथ वकालतन पैरवी उक्त वाद में की गयी।

प्रतिपक्षी हरिश्चन्द्र प्रसाद सिंह पे.स्व0हितलाल सिंह ग्राम–खनगांव अंचल–पण्डौल की ओर से वकालतनामा के साथ वकालतन पैरवी दी गयी।

प्रतिपक्षी राधा देवी जौजे बिनय कुमार उर्फ बमबम पूर्वे गदियानी वार्ड न011 की ओर से वकालतन पैरवी उक्त वाद में की गयी।

प्रतिपक्षी हरिश्चन्द्र प्रसाद सिंह की ओर से प्रत्युत्तर दाखिल किया गया जिसमें लिखा कि मौजा–चकदह अंचल रहिका जिला मधुबनी के खाता नं. 117 (पुराना), 211(नया) सी0एस0प्लॉट नं. 211 आर0एस0प्लॉट नं. 6 एवं 7 रकवा 0–1–0 (एक कट्ठा) निबंधित केवाला के माध्यम से क्रय किया जिसका

(14)

जमाबंदी नं. 5144 अंचल अधिकारी रहिका द्वारा कायम हुआ जो वैद्य है।

प्रतिपक्षी संख्या–4 राधा देवी की ओर से दाखिल प्रत्युत्तर में लिखा गया है कि खेसरा नं.320 वो 321 रकवा 1 कट्ठा 3 धूर 36 धूरकी उन्होंने निबंधित केवाला के माध्यम से क्रय किया जिसका दाखिल खारिज जमाबंदी नं. 5325 अंचल अधिकारी रहिका द्वारा कायम किया गया जो वैध्य है। आवेदक के पिता तारकेश्वर प्रसाद ने भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर मधुबनी ने न्यायालय में अपील संख्या 4/08–09 दाखिल किया जिसकी सुनवाई के उपरान्त दिनांक 27.03.09 को स्थगित कर दिया गया उसके खिलाफ आवेदक के पिता किसी सक्षम न्यायालय में नहीं गये। खेसरा नं. 320 वो 321 रकवा 1 कट्ठा 3 धूर 36 धूरकी के निश्वत हकीयत मोकदमा 142/08 आवेदक के पिता वो चाचा ने विपक्षीगण के खिलाफ दाखिल किया है जो सुनवाई हेतु लंबित है। प्रत्युत्तर के साथ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में साक्ष्यों की छाया प्रति दाखिल किया। साथ ही व अदालत सब जज प्रथम मधुबनी के माननीय न्यायालय में दायर हकीयत मोकदमा संख्या–142/2008 का पक्का नकल भी दायर किया है।

अंचल अधिकारी रहिका के प्रतिवेदन के आधार पर विपक्षी बीरेन्द्र प्रसाद शर्मा वो राजेन्द्र प्रसाद शर्मा पिता स्व0जय नारायण लाल को भी सूचना देते हुये पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया किन्तु उनकी ओर से पक्ष नहीं रखा गया।

आवेदक रीतेश कुमार की ओर से अपने दावा के समर्थन में लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के साथ साक्ष्यों की छाया प्रति प्रस्तुत किया।

सुनवाई के समय पक्षकारों के विज्ञ अधिवक्ताओं द्वारा अपना–अपना कथन रखा गया जिसे सूना।

आवेदक की ओर से विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि मधुबनी नगर के वार्ड नं. 11/4 मोहल्ला आर0के0कॉलेज रोड मौजा–चकदह थाना नं.–33 हल्का संख्या–3 खेसरा–320,321 पुराना रकवा 01 कट्ठा 03 धूर 36 धूरकी भूमि उन्हें Munsif 1st Madhubani Morg Suit No. 47/1965 & Morg. Exe No. 07/1968 के आधार पर रहता आया उक्त भूमि की जमाबंदी नं. 1491 उनके पूर्वज फनिन्द्र नारायण प्रसाद, यतीन्द्र नारायण प्रसाद एवं रामरति देवी के नाम से कायम रहता आया जिसे तत्कालीन अंचल अधिकारी रहिका को भूमाफियाओं द्वारा जाली वो फरेबी कागजात के आधार पर वजरिये वाद संख्या 846/06–07 खोलकर उपरोक्त भूमि का दाखिल खारिज जय नारायण लाल पे0 सिंघेश्वर लाल के नाम से जमाबंदी नं. 5253 कायम कराने में सफल रहे। उक्त तथाकथित जमाबंदीदार जय नारायण लाल सन् 1965 से पूर्व ही स्वर्गवासी हो चुके थे लेकिन तत्कालीन अंचल अधिकारी रहिका ने भूमाफियाओं के मेल वो प्रभाव में फर्जी अभिलेख संख्या 846/06–07 जमाबंदी नं. 5253 मृत व्यक्ति जयनारायण लाल के नाम से कायम कर दिया। इस प्रकार जमाबंदी नं. 5253 बनाम जय नारायण लाल फर्जी वो बनावटी रहता गया। जब उक्त दाखिल खारिज वाद संख्या 846/06–07 में पारित आदेश का उन्होंने पक्का नकल अंचल रहिका से प्राप्त किया तो पता चला कि दाखिल खारिज वाद संख्या 846/06–07 मौजा–चकदह थाना नं. 33 के खाता नं. 117 पुराना 211 नया खेसरा नं. 211 पुराना 06–07 नया रकवा 01 कट्ठा का दाखिल खारिज श्री हरिश्चन्द्र सिंह पे. स्व0हित लाल सिंह के नाम से किया गया है जिसका जमाबंदी नं. 5144 है। अतः जमाबंदी नं. 5253 एवं 5325 को रद्द की जाय। एक ही वाद संख्या से दो अलग–अलग व्यक्तियों के नाम से अंचल रहिका द्वारा अलग–अलग जमाबंदी कायम कर जालफरेबी किया गया है वह भी 5253 मृत व्यक्ति जयनारायण लाल के नाम से कायम किया गया जो पूर्णतः फरेबी है जिसे रद्द किया जाय एवं दोषी कर्मी के विरूद्ध कार्रवाई किये जाने का अनुरोध विज्ञ अधिवक्ता द्वारा किया गया।

पक्षकारों को सुनवाई के क्रम में अपना–अपना लिखित बहस प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया।

प्रतिपक्षी राधा देवी की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत किया गया जिसमें अपने प्रत्युत्तर के अधिकांश बातों का उल्लेख किया है तथा लिखा है कि खेसरा नं. 320 वो 321 की रकवा 1 कट्ठा 3 धूर 36 धूरकी के निसवत

(12)

आवेदक एवं आवेदक के पिता चाचा वगैरह हकीयत मोकदमा संख्या–142/08 दाखिल किये हैं जो सब जज तृतीय मधुबनी के न्यायालय में विचाराधीन लंबित है इस आधार पर अगर किसी खाता खेसरा वो रकवा से संबंधित कोई मुकदमा सक्षम न्यायालय में लंबित है तो उस पर कोई आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं है।

उक्त वाद में आवेदक द्वारा अंचल कार्यालय रहिका में दिये गये आवेदन, अंचल अधिकारी, रहिका द्वारा जॉचोपरान्त आदेशफलक में उल्लिखित तथ्यों, प्रतिपक्षी द्वारा वाद संचालन के क्रम में समर्पित प्रत्युत्तर, आवेदक एवं प्रतिपक्षी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों की छाया प्रति का अवलोकन एवं परिसिलन किया। प्राप्त साक्ष्य से स्पष्ट है कि उक्त भूमि से संबंधित मामला आवेदक के पिता/चाचा की ओर से ही माननीय सिविल न्यायालय, सब जज तृतीय मधुबनी के न्यायालय में दायर है जिसका वाद संख्या हकीयत मोकदमा नम्बर–142/2008 विचाराधीन लंबित है। हकीयत वाद प्रकियाधीन रहने की अवधि में आवेदक को जमाबंदी रद्दीकरण से संबंधित दिये गये आवेदन पर इस न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का निर्णय लेना न्यायोचित नहीं है। आवेदक माननीय सक्षम न्यायालय में विचाराधीन हकीयत मोकदमा नम्बर–142/2008 में न्याय निर्णय की प्रतीक्षा करें। माननीय सक्षम सिविल न्यायालय में विचाराधीन मामले में इस न्यायालय द्वारा अंचल अधिकारी रहिका द्वारा प्रेषित जमाबंदी रद्दीकरण वाद में किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया जा सकता। मामला माननीय सिविल न्यायालय में सब ज्यूडिश रहने की स्थिति में इस न्यायालय में प्रकियाधीन उक्त वाद की कार्रवाई को समाप्त की जाती है।

लेखापित

4/3/17

अपर समाहर्ता,मधुबनी।

4/3/17

अपर समाहर्ता,मधुबनी।